

फर्द अहकाम

धीरन बनाम लालराय

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 290/14

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित / अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से धमण पर है। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी तारीख 11/10/25 को पेश हो।	
	11/10/25	पत्रावली पेश हुई और लेख द्वारा कृषि रक्षा विभाग किशनगढ पत्रावली से आदेशाख्यता 15/10/25 को पेश की	
	15/10/25	पत्रावली पेश की पक्ष० उप० हा वास्तु ताहल वारी हेतु दिनांक 29/10/25 को पैम को	
	29/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान, पक्षकारान वादी ६ प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्वय राज्य कार्य से व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 7/11/25 को पेश हो।	
	7/11/25	पत्रावली पेश की पक्ष० उप० हा वास्तु ताहल वारी हेतु न्यायालय किशनगढ अन्वय दिनांक 12/11/25 को पैम को	
	12/11/25	पत्रावली पेश की पक्ष० अधिवक्ता है। आज न्यायालय ने पक्ष०/पक्ष० अधिवक्ता के लिए तीन-चार आवेदन खगवारी की बावजूद कोई धारित नहीं उठा आता 0-9/25 CPC ने प्रकथनों के तहत प्रकथन पेश की जादी है। पत्रावली अधिवक्ता के द्वारा दफ्तरी दायित्व से दर्ज गमना से पेश की	

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ रेनवाल